

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी

रामकिशोर मीणा (RAS)

प्रकरण सं. 19/19

दायर दिनांक 25.02.2019

हरीसिंह पुत्र मांगी जाति मीना निवासी निठार तहसील मुसावर

-----वादी

बनाम

1. रंगलाल पुत्र सुखराम
2. कम्पूरी बेवा मीठी
3. सियाराम पुत्र मीठी
4. लखन पुत्र मीठी
5. गुलवती पुत्री मीठी पाले रूपराम जाति मीना निवासी निठार तहसील मुसावर
6. मल्लूकी पुत्री मीठी पाले गीलू जाति मीना निवासी निठार तहसील मुसावर (अल)
7. मोती पुत्र मांगी
8. सुभालाल पुत्र रामजीलाल
9. रामरेवकड़ी पुत्र रामजीलाल
10. भगतानसिंह पुत्र लहरीराम
11. हजारी पुत्र लहरीराम
12. शैरसिंह पुत्र लहरीराम
13. विरमा पुत्री लहरीराम पाले केलारा जाति - मीना निवासी दादनपुर (टोडा)
14. घमण्डी पुत्र श्योपाल
15. केशराम पुत्र हीरालाल
16. रामनिवास पुत्र हीरालाल
17. मंगोली पुत्र रामफूल

जाति - मीना निवासी - निठार तहसील मुसावर

जाति - मीना निवासी - निठार तहसील मुसावर

18. राजस्थान सरकार जाति तहसीलदार मुसावर

----- असल प्रतिवादी मीणा


----- तरतीवी प्रतिवादी

----- अधिवक्ता. श्री R.D. शर्मा - वादी

दावा- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955, अन्तर्गत धारा 53 व 188

निर्णय दिनांक - 20.11.20

 अधिकारी
न्यायालय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

ख.मं. 693 रकवा 0.5000 है, 695 रकवा 0.1400 है, 696 रकवा 0.2300, 699 रकवा 0.5100 है, 814 रकवा 0.2200 है, 860 रकवा 0.0100 है, 861 रकवा 0.2200 है, 862 रकवा 0.0100 है, 863 रकवा 0.1000 है, 870 रकवा 0.1700 है, 871 रकवा 0.1600 है, 872 रकवा 0.1800 है, 883 रकवा 0.1100 है, 885 रकवा 0.0900 है, 886 रकवा 0.1200 है, 887 रकवा 0.3600 है, 1100 रकवा 0.0600 है, 1115 रकवा 0.1000 है, आराजीय पैत्रिक कृषि भूमि है व मौके पर

अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर उपरोक्त समस्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी गण असल में मनवली तौर पर काश्त कर रखा है। अतः वादी और प्रतिवादी गण असल के मध्य भूमि विभाजन कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी रजिस्ट्री अन्व. जारी किये गए। प्रतिवादी गण सं. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17 की शर्. प्राप्त होने पर कोई उर्णोत्पत्त नहीं आया उनके विक्रय कार्यवाही एक प्रक्षीय असल में लाई गई वादी अधिवक्ता को एक प्रक्षीय सुमा गया उन्होंने मुलाविकु को जात रिपोर्ट दावा डिक्री बाबत सहमत जा गई। हमने दावे में प्रस्तुत राज्य रिकार्ड व तहसीलदार मुसबर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विभाजन प्रस्ताव अनुसार नियमों परिप्रेक्ष्य में दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार मुसबर विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं असल प्रतिवादी गण को खाले दार दर्ज करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पचा जारी होवे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/20 को लिखाया जाकर सुमाया गया प्रस्तावले फसल सुमार होकर मसबर से कम हो। वाद तहसील जाफर दारखोल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीणा (R)
उपनिवेश अधिकारी
मुसबर भारतपुरे पुष